

नागरिक अधिकार पत्र

कार्य का विवरण	कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज	निजी वाहन	व्यावसायिक वाहन
वाहनों का सामान्य पंजीयन	<p>1. प्रार्थना पत्र फार्म सं. 20 पर</p> <p>2. वाहन के बिल की मूल प्रति</p> <p>3. प्रपत्र संख्या 21 में विक्रय पत्र</p> <p>4. रोडवर्दी प्रमाण पत्र फार्म संख्या 22 पर</p> <p>5. वैध बीमा की सत्यापित प्रति</p> <p>6. निवास स्थान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निम्न दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करें:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) राशन कार्ड* (2) मतदान परिचय पत्र। (3) बीमा पॉलिसी। (4) पासपोर्ट। (5) केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय द्वारा जारी वेतन स्लिप (6) स्कूल प्रमाण पत्र। (7) जन्म प्रमाण पत्र। (8) सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र। <p>* राशन कार्ड के साथ उपरोक्त में से एक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>7. यदि वाहन हायर परचेज आदि पर हो तो वांछित सूचना प्रपत्र संख्या 34 में</p> <p>8. फार्म 22 ए पर बॉडी निर्माता द्वारा प्रमाण पत्र (यदि वाहन की बॉडी चैसिस पर निर्मित की गयी है)</p> <p>9. आयातित वाहन के लिये कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, आयातित लाईसेंस एवं बॉण्ड</p> <p>10. आवश्यकतानुसार अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति</p> <p>11. यदि वाहन व्यावसायिक उद्देश्य के लिये है तो फिटनेस प्रमाण पत्र</p> <p>12. निर्धारित फीस/कर जमा कराने की रसीद/बैंक चालान</p> <p>13. वाहनों को निरीक्षण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।</p>	2	3
असाइनमेंट	<p>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 27 पर</p> <p>2. कर रिपोर्ट</p> <p>3. वाहन का मूल पंजीयन प्रमाण पत्र</p> <p>4. यदि वाहन का हायर परचेज जारी रखना चाहे तो</p>	45	60

	<p>ऋण दाता का सहमति पत्र</p> <p>5. अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म संख्या 28 पर</p> <p>6. वाहन को निरीक्षण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>7. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/चालान</p>		
स्वामित्व हस्तान्तरण	<p>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 29 एवं 30 पार्ट प्रथम व द्वितीय (प्रपत्र संख्या 30 के पार्ट प्रथम पर बेचान कर्ता के राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित होना आवश्यक है)</p> <p>2. वैध बीमा की सत्यापित प्रति</p> <p>3. मूल पंजीयन प्रमाण पत्र</p> <p>4. कर चुकता प्रमाण पत्र</p> <p>5. निर्धारित फीस एवं कर जमा कराने की/रसीद/चालान</p> <p>6. यदि वाहन हायर परचेज पर हो तो ऋणदाता का अनापत्ति प्रमाण पत्र</p> <p>7. निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति</p> <p>8. यदि वाहन स्वामी की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 31 पर देय होगा एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति</p> <p>9. यदि वाहन अन्य राज्य में पंजीकृत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म संख्या 28 में</p> <p>10. चालान रिपोर्ट</p> <p>11. वाहन व्यावसायिक हो तो परमिट सरेन्डर की स्वीकृति रिपोर्ट अथवा हस्तानान्तरण की प्राधिकार की अनुमति।</p>	2 दिन (राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए) 45 कार्य दिवस (राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए)	3 दिन (राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए) 60 कार्य दिवस (राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए)
अनापत्ति प्रमाण पत्र	<p>1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 28 तीन प्रतियों में</p> <p>2. कर चुकता प्रमाण पत्र</p> <p>3. मूल पंजीयन पुस्तिका (पंजीयन की प्रमाणित प्रति)</p> <p>4. वैध बीमा की सत्यापित प्रति</p> <p>5. पुलिस रिपोर्ट</p> <p>6. वाहन व्यावसायिक हो तो परमिट सरेन्डर की स्वीकृति रिपोर्ट</p> <p>7. चालान रिपोर्ट</p>	2	3
गिरवी अनुबंध हायर परचेज आदि की पंजीयन में	<p>1. हायर परचेज एग्रीमेंट फार्म संख्या 34 दो प्रतियों में</p> <p>2. मूल पंजीयन पुस्तिका</p> <p>3. निर्धारित फीस</p>	2	2

प्रविष्टि			
हायर परचेज टरमीनेशन	<ol style="list-style-type: none"> 1. हायर परचेज टरमीनेशन फार्म संख्या 35 दो प्रतियों में (प्रपत्र संख्या 35 पर ऋणदाता एवं वाहन स्वामी के हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी द्वारा प्रमाणित) 2. मूल पंजीयन पुस्तिका 3. निर्धारित फीस 	2	2
कर चुकता प्रमाण पत्र	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र सादा कागज पर 2. वाहन द्वारा जमा कर का आर.सी.आर द्वारा सत्यापन 	7	7
पंजीयन प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 26 पर 2. एफ.आई.आर. की प्रति 3. कर रिपोर्ट 4. यदि हायर परचेज पर वाहन है तो ऋण दाता का सहमति प्रमाण पत्र 5. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान 	2	2
अस्थायी पंजीयन	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र संख्या आर.एस. 4.1 पर 2. मूल बिल की प्रति 3. निर्धारित फीस 	1	1

ड्राईविंग लाईसेंस
सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी

लर्निंग लाईसेंस जारी करना	<ol style="list-style-type: none"> प्रार्थना पत्र संख्या 2 के साथ प्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। उम्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निवास स्थान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निम्न दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करें:— (1) राशन कार्ड* (2) मतदान परिचय पत्र। (3) बीमा पॉलिसी। (4) पासपोर्ट। (5) केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय द्वारा जारी वेतन स्लिप (6) स्कूल प्रमाण पत्र। (7) जन्म प्रमाण पत्र। (8) सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र। * राशन कार्ड के साथ उपरोक्त में से एक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित फीस तीन नवीनतम फोटोग्राफ 16 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य आयु वालों को अभिभावक / संरक्षक की सहमति फार्म संख्या 2 पर व्यावसायिक लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस हेतु कम से कम एक वर्ष पुराना वैध, हल्की वाहन लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी 	2	2
स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस	<ol style="list-style-type: none"> प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 4 के साथ प्रार्थी को समक्ष अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा। वैध लर्निंग लाईसेंस तीन नवीनतम फोटोग्राफ निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/चालान व्यावसायिक लाईसेंस के लिए फार्म संख्या 5 पर मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रमाण पत्र 	2	3
डुप्लीकेट लाईसेंस	<ol style="list-style-type: none"> प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 2.3 पर पाँच रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निर्धारित फीस दो नवीनतम फोटोग्राफ 	3	3
कंडक्टर	1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या आर.एस.3.1 पर	—	2

लाईसेंस	<ol style="list-style-type: none"> 2. रेड क्रास सोसायटी द्वारा जारी फर्स्ट एड प्रमाण पत्र 3. तीन नवीनतम फोटोग्राफ 4. निर्धारित फीस 5. पुलिस द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र 6. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र 7. मेडिकल सर्टिफिकेट किसी राजकीय डॉक्टर द्वारा फार्म संख्या आर.एस. 3.2 पर 		
डुप्लीकेट कंडक्टर लाईसेंस जारी करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र संख्या 3.7 पर 2. शपथ पत्र 3. निर्धारित फीस 4. दो नवीनतम फोटोग्राफ 	—	2
लाईसेंस का नवीनीकरण	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 9 पर 2. तीन नवीनतम फोटोग्राफ 3. मेडिकल सर्टिफिकेट 40 वर्ष तथा अधिक आयु वालों के लिए एवं समस्त व्यावसायिक लाईसेंस धारकों के लिए फार्म संख्या 1 ए पर 4. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान 	3 कार्य दिवस (उसी जिले में जारी लाईसेंस के लिए) 45 दिवस (अन्य जिले/राज्य से जारी लाईसेंस के लिए)	3 कार्य दिवस (उसी जिले से जारी लाईसेंस के लिए) 45 दिवस (अन्य जिले/राज्य से जारी लाईसेंस के लिए)

वाहनों की फिटनेस जांच

सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी

फिटनेस	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र संख्या 4.6 व 4.8 के साथ वाहन को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। 2. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान 3. बीमा की वैधता अंकित करें 4. प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र 5. कर चुकता प्रमाण पत्र 	—	1
डुप्लीकेट फिटनेस	<ol style="list-style-type: none"> 1. सादा कागज पर प्रार्थना पत्र 2. शपथ पत्र 3. निर्धारित फीस जमा कराने की रसीद/बैंक चालान 	—	2

वाहनों को टोकन जारी करना

सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी

टोकन जारी करना	<ol style="list-style-type: none">1. निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र2. मूल दस्तावेज एवं उनकी सत्यापित फोटो प्रतियाँ निम्नानुसार संलग्न करेंगे।3. वैध परमिट पार्ट बी4. वैध फिटनेस प्रमाण पत्र5. वैध बीमा प्रमाण पत्र6. पुराना टोकन (मूल प्रति संलग्न करें)7. मूल प्रति टैक्स जमा की रसीद/बैंक चालान पार्ट 4 जी8. पंजीयन पुस्तिका	—	2
----------------	--	---	---

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

सक्षम अधिकारी: जिला परिवहन अधिकारी

प्राधिकृत जांच केन्द्र

प्रदूषण प्रमाण पत्र	<p>1. विभाग द्वारा निर्धारित डीलर द्वारा 6 माह के लिये जारी पेट्रोल वाहनों हेतु निर्धारित मानक : (a) पेट्रोल चलित दो पहिया, तिपहिया वाहन – कार्बन मोनो आक्साइड 4.5 प्रतिशत आयन्स (b) पेट्रोल चलित चार पहिया वाहन कार्बन मोनो ऑक्साइड 2 प्रतिशत आयन्स</p> <p>2. डीजल वाहनों हेतु निर्धारित मानक: डीजल वाहन अधिकतम स्मोक डेनसिटी 65 प्रतिशत एच.एस.यू</p>	1	1
---------------------	--	---	---

परमिट जारी करना

<p>नये परमिट</p> <p>(ए) नॉन टैम्पररी परमिट</p>	<p>(अ) निर्धारित प्रपत्र</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टैज कैरिज— प्रपत्र संख्या 5.1 2. कान्ड्रेक्ट कैरिज— <ol style="list-style-type: none"> (i) ट्यूरिस्ट परमिट— फार्म संख्या 45 (ii) ऑल राजस्थान— प्रपत्र 5.3 3. प्राइवेट सर्विस व्हीकल—प्रपत्र 5.6 4. भार वाहन <ol style="list-style-type: none"> (i) नेशनल परमिट— फार्म संख्या 48 (ii) ऑल राजस्थान— प्रपत्र 5.7 <p>(ब) आवश्यक दस्तावेज</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निर्धारित फीस 2. कर चुकता रिपोर्ट 3. वैध वाहन बीमा की प्रति 4. पते का प्रमाण 5. फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति 6. पंजीयन पुस्तिका की प्रति 		
<p>(बी) टैम्पररी परमिट</p>	<p>(अ) निर्धारित प्रपत्र— प्रपत्र संख्या 5.18</p> <p>(ब) आवश्यक दस्तवेज</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निर्धारित फीस 2. कर चुकता रिपोर्ट 3. यदि अन्य अनुज्ञापत्र से आच्छादित है तो उसकी सत्यापित प्रति 		
<p>नवीनीकरण</p> <p>डुप्लीकेट</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र फार्म सं. 5.20 में 2. कर चुकता रिपोर्ट 3. फिटनेस की प्रति 4. वैध बीमा की प्रति 5. परमिट पार्ट—1 की प्रति 6. निर्धारित शुल्क 7. वित्त पोषक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थना पत्र सादा पेपर पर 2. कर चुकता प्रमाण पत्र 3. शपथ पत्र—अनुज्ञापत्र खोने की अवस्था में। 4. यदि परमिट जीर्ण शीर्ष अवस्था में है तो मूल रूप में संलग्न करना होगा। 5. निर्धारित फीस 		
<p>समयावधि</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. यदि नये अनुज्ञापत्र के प्रार्थना पत्र पर सदस्य प्राधिकार द्वारा परिचलन पत्र के जरिये विचार किया जाता है तो नियम 5.6 के अनुसार निर्धारित 		

	<p>अवधि</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. यदि आर.टी.ए. की बैठक में विचार किया जाता है तो प्राधिकार के निर्णय अनुसार 3. यदि प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव या अतिरिक्त सचिव द्वारा अनुज्ञापत्र स्वीकृत/नवीनीकरण किये जाते हैं तो अधिकतम सात दिन में। 4. टैम्परेरी परमिट (U/S 88(8) of M.V. Act, 1988) एवं डुप्लीकेट परमिट उसी दिन जारी किया जावेगा। 		
--	--	--	--

- नोट:-
1. स्वीकृति के पश्चात् सभी प्रकार के नॉन टैम्परेरी परमिट प्राप्त करने हेतु फार्म संख्या—5.19 में आवेदन करने के साथ पूर्व में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न की जावे।
 2. उक्त वाहन यदि कम्पनी/फर्म के नाम हो तो उनकी मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन/कापी आफ पार्टनर शिप डीड/प्रोपराईटरशिप संलग्न करना होगा।